कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का संक्षिप्त विवरण :

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक) एक अलाभकारी संस्था है, जो धारा 8 के अंतर्गत अनुसूची 'ख' में वर्गीकृत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्थापित की गई है।

बाइरैक के निदेशक मंडल ने अपनी 45वीं बैठक, जो 24 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी, में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) को अनुमोदित किया। बाइरैक की सीएसआर नीति का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 और 'लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों' के अनुरूप किया गया है।

सीएसआर नीति हेतु दृष्टि और विजन विवरण

विजन वक्तव्य : बाइरैक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से समाज और उस समुदाय में, जिसमें वह कार्य करता है, निरंतर मूल्य सृजन को प्रोत्साहित करता रहेगा। अपनी सेवाओं, आचरण और पहलों के माध्यम से बाइरैक समाज एवं समुदाय के सतत विकास को बढ़ावा देगा, ताकि एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) के रूप में अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन कर सके।

मिशन वक्तव्य : कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुरूप यह नीति दीर्घकालीन, मध्यमकालीन एवं अल्पकालीन अवधि के लिए कंपनी–विशिष्ट सामाजिक दायित्व संबंधी रणनीतियाँ विकसित करने का उद्देश्य रखती है, जिनमें कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए अंतर्निहित तंत्र निहित हो, ताकि समाज पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके।

2. सीएसआर समिति की संरचना : कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (जो 22 जनवरी, 2021 से प्रभावी है) के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी, तथा उक्त अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत ऐसी समिति को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 3 में संशोधन (जो 20 सितंबर, 2022 से प्रभावी है) के अनुसार, यदि किसी कंपनी के पास धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत उसके अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व खाते में कोई राशि शेष है, तो ऐसी कंपनी को सीएसआर समिति का गठन करना होगा तथा उक्त धारा की उपधारा (2) से (6) में निहित प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

अतएव, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) के पास कोई भी अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि शेष नहीं है। निदेशक मंडल के निर्देशानुसार बाइरैक द्वारा एक आंतरिक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना निम्नलिखित है :

1) प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2) निदेशक (संचालन) – सदस्य
3) निदेशक (वित्त) – सदस्य
4) कंपनी सचिव – सदस्य
5) बाइरैक के सभी प्रभाग प्रमुख तथा परियोजना प्रबंधन इकाई के मिशन निदेशक – आंतरिक सीएसआर समिति के सदस्य

परियोजना प्रबंधन इकाई, रणनीतिक साझेदारी समूह एवं तकनीकी समूह के सभी प्रभाग प्रमुखों को भी बाइरैक में प्राप्त प्रस्तावों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु आंतरिक सीएसआर समिति में सह–अंगीकृत सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

निदेशक मंडल ने अपनी चौंसठवीं बैठक, जो 16 दिसंबर, 2024 को आयोजित हुई, में विचार–विमर्श किया कि संशोधित नियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की प्रयोज्यता का मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निवल अधिशेष राशि रु. 5 करोड़ से कम होने के कारण वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, बाइरैक पर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सीएसआर बजट आवंटित करने का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।

3. सीएसआर आंतरिक समिति की संरचना, सीएसआर नीति, तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ बाइरैक की वेबसाइट पर निम्नलिखित पते पर उपलब्ध हैं : https://www.birac.nic.in/desc_new.php?id=958.

4. कंपनियाँ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण (यदि लागू हो) : **लागू नही**

5. कंपनियाँ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसार समायोजन हेतु उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक समायोजन की राशि (यदि कोई हो) का विवरण : **लागू नही**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन हेतु उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए, यदि कोई हो, समायोजन हेतु आवश्यक राशि (₹ में)
लागू नही			

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : **लागू नहीं**

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : **लागू नहीं**

   (ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि : **लागू नहीं**

   (ग) यदि कोई हो, तो चालू वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन के लिए आवश्यक राशि : **लागू नहीं**

   (घ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व दायित्व (7क+7ख+7ग) : **लागू नहीं**

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च अथवा अप्रयुक्त कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि :

वित्तीय वर्ष हेतु कुल खर्च राशि (₹ में)	अप्रयुक्त राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय उपबंध के अनुसार अनुसूची सात में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
शून्य			शून्य		

   (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगतिशील परियोजनाओं पर खर्च कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	धारा अनुसूची सात के अनुसार गतिविधियों की सूची से संबंधित वस्तु	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अप्रयुक्त कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

   (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगतिशील परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर खर्च कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	धारा अनुसूची सात के अनुसार गतिविधियों की सूची से संबंधित वस्तु	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)		परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			राज्य	जिला				नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य									

(घ) प्रशासनिक व्ययों पर खर्च राशि : शून्य

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च राशि, यदि लागू हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष हेतु कुल खर्च राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.) : शून्य

(छ) यदि कोई हो, समायोजन हेतु अधिशेष राशि : शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए अधिशेष खर्च राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण :

क्र. सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष में खर्च राशि (₹ में)	यदि कोई हो, धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची सात में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च के लिए शेष राशि (₹ में)
लागू नही					

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष/वर्षों) की प्रगतिशील परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	परियोजना आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए कुल आवंटित राशि (₹ में)	प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च राशि (₹ में)	प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी खर्च राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/ प्रगतिशील लागू नही
लागू नही								

10. यदि वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण किया गया हो, तो उस संपत्ति के संबंधित विवरण (संपत्ति अनुसार) प्रस्तुत करें : **लागू नहीं**

(क) पूंजीगत संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : **लागू नही**

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च सीएसआर राशि : **लागू नहीं**

(ग) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, जिनके नाम पर उक्त पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : **लागू नहीं**

(घ) निर्माण या अधिग्रहित पूंजीगत संपत्ति का विवरण (संपत्ति सहित पूर्ण पता एवं स्थान) : **लागू नहीं**

11. यदि कंपनी ने धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया है, तो कारण निर्दिष्ट करें : **लागू नहीं**

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में

हस्ताक्षरित/–
डॉ. जितेन्द्र कुमार
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07017109

हस्ताक्षरित/–
सीए. निधि श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 09436809

दिनांक: 24 सितम्बर, 2025
स्थान: नई दिल्ली